आज PO सा. के प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त/राजकार्य से दौरे/अवकाश/स्थानान्तरण कारण पत्रावली पूर्ववत [illegible] हेतु उनके समक्ष दिनांक 26/6/19....... को पेश हो।

रीडर

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

26.06.2019 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अभिभाषक व अप्रार्थी अभिभाषक उपस्थित। प्रार्थी अभिभाषक के द्वारा प्रार्थना बाजदायरी मे अंकित तथ्यो व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मे अंकित कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त उनवानी वाद संख्या 74/2014 गोपाल शर्मा बनाम रघुवीर दिनांक 18.04.2019 को अदम हाजरी /अदम पैरवी मे खारिज कर दिया गया था। अतः विलम्ब अवधि को क्षमा करते हुए वाद को पुनः नम्बर पर लिया जावे।

अप्रार्थी के नोटिस बाद तामील शामिल मिसल है। अप्रार्थीगण की ओर से श्री लक्ष्मणनाथ जोगी अभिभाषक ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद को नम्बर पर लिये जाने के आदेश न्यायहित मे प्रदान करावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अभिभाषकगण द्वारा किये गये कथन व आप्रार्थीगण के अभिभाषक के द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई अनापत्ति के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र दर्ज फैसल हो। मूल वाद पत्रावली के साथ सलंग्न हो।

सहायक कलक्टर (मु0)
अजमेर

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

Scanned by CamScanner